उत्तर प्रदेश शासन
राज्य योजना आयोग-2
(नियोजन विभाग)
संख्या-24/2019(927/19)/3/4/35-आ0-2/2018-19
लखनऊ: दिनांक: 22 अप्रैल, 2019
कार्यालय ज्ञाप

वित्त आय व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च 2019 में निर्गत शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये आय- व्ययक के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि रू0 928.20 (रूपये नौ करोड अटठाइस लाख बीस हजार मात्र) को नियोजन विभाग की अनुदान संख्या-40 लेखाशीर्ष-3451 सचिवालय आर्थिक सेवायें-101- योजना आयोग/योजना बोर्ड-03 राज्य योजना आयोग, एवं लेखाशीर्ष-5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-03 राज्य योजना आयोग (मतदेय/भारित) के अर्न्तगत विभिन्न मानक मदों में निम्नलिखित विवरण के अनुसार व्यय करने हेतु राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

अनुदान संख्या- 40 (धनराशि लाख रू0 में)

कोड संख्या	मानक मद नाम	वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु स्वीकृत कुल आय-व्ययक प्रावधान	वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य योजना आयोग मुख्यालय हेतु जारी वित्तीय स्वीकृतियॉ	05 सियाड जनपद-एटा, इटावा, फतेहपुर, सहारनपुर, आजमगढ को स्वीकृत धनराशि
1	2	4	6	7
	03-राज्य योजना आयोग			
	राजस्व पक्ष			
01	वेतन	620.00	584.00	36.00
03	मंहगाई भत्ता	93.00	90.10	2.90
04	यात्रा भत्ता	6.00	6.00	-
05	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.20	0.20	-
06	अन्य भत्ते	15.00	14.51	0.49
07	मानदेय	6.00	6.00	-
08	कार्यालय व्यय	9.00	9.00	-
11	लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	1.00	1.00	-
12	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	4.00	4.00	-
13	टेलीफोन पर व्यय	4.50	4.50	-
15	गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	20.00	20.00	-
16	व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	1.00	1.00	-
18	प्रकाशन	2.00	2.00	-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

42	अन्य व्यय	20.00	20.00	-
44	प्रशिक्षण हेतु यात्रा व्यय एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1.00	1.00	-
45	अवकाश यात्रा व्यय	2.00	2.00	-
46	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर क्रय	3.00	3.00	-
47	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	4.00	4.00	-
49	चिकित्सा व्यय	10.00	10.00	-
51	वर्दी	1.00	1.00	-
52	पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	41.00	38.27	2.73
55	मकान किराया भत्ता	45.00	44.00	1.00
56	नगर प्रतिकर भत्ता	10.00	9.61	0.39
	योग:-	**918.70**	**875.19**	**43.51**
	पूँजीगत पक्ष			
14	मोटर गाडियों का क्रय	8.50	8.50	-
26	मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	1.00	1.00	-
	योग-	**9.50**	**9.50**	-
	कुल योग- राजस्व पूँजीगत	**928.20**	**884.69**	-

(रूपये नौ करोड अटठाइस लाख बीस हजार मात्र)

उक्त धनराशि निम्ननिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय की जायेगी ।

1- विभिन्न अनुदानों के अर्न्तगत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवण्टन एवं आवण्टित/वितरित धनराशि के समक्ष व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1195/दस16/94 दिनांक 06 जून 1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

3- आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल व्यय/भुगतान की आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22 मार्च 2019 में दिये गये निर्देशो/शर्तो का अनुपालन किया जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- राजकोष से आहरित धनराशि को त्रैमासिक आधार पर मिलान कार्यालय महालेखकार इलाहाबाद उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्य कराया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन अनुभाग-1 को प्रेषित किया जायेगा।

6- उपर्युक्त राजस्व पक्ष का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्ष-3451-सचिवालय आार्थिक सेवायें-101-योजना आयोग/योजना बोर्ड-03 राज्य योजना आयोग के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा तथा पूजीगत पक्ष का व्यय लेखाशीर्ष-5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-03 राज्य योजना आयोग के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा

7- यह आदेश वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22 मार्च 2019 में दिये गये निर्देशानुसार जारी किये जा रहें है ।

राम केवल

विशेष सचिव ।

संख्या-24/2019(927/19)/3/4/35-आ0-2/2018-19 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट), प्रथम उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2 महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3 महालेखाकार (लेखा एवं हकादारी) द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
4 वरिष्ठ आडिट अधिकारी (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार लेखा परीक्षा प्रथम सत्यनिष्ठा भवन 15 थार्नहिल रोड इलाहाबाद ।
5 मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ को वित्त आय व्यय अनुभाग 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च 2019 के संबंध में ।
6 अनुभाग अधिकारी लेखा नियोजन सचिव शाखा, नियोजन विभाग ।
7 वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1
8 वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
9 आहरण वितरण अधिकारी, राज्य योजना आयोग ।
10 नियोजन अनुभाग-1
11 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

ऋषिकेश दुबे

संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।